

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा
पीतासीन अधिकारी :- बन्शीधर योगी, (आर०ए०एस०)
मुकदमा संख्या :- 35/2004 ज० क०

01- श्रीवास वि० सुवर्णा रंगारानी वि० सुवर्णा (क०)-क० नैरा

प्रार्थी.....

बनाम

01- श्रीवास वि० सुवर्णा रंगारानी वि० सुवर्णा (क०)-क० नैरा

विपक्षीगण.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956

:: आदेश ::

दिनांक 14/12/24

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०मू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम सुवर्णा (क०) पटवार हल्का सुवर्णा (क०) तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 16 आराजी नम्बर 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,

कुलकिता 6 रकबा 0.8473 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/11/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को बलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी कराने अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुवर्णा (क०) पटवार हल्का सुवर्णा (क०) तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 16 आराजी नम्बर 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771,

कुलकिता 6 रकबा 0.8473 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सुवर्णा को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये कील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

अतः- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी


उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपी :- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेड़ा जिला-भीलवाड़ा

